Jhansi Cantonment Board

Details (Terms and condition) of Auction for Cantonment fund building on rent.

पत्र सं0 202010120019 सीबीझांसी2884/ए–1/10/रेवेन्यू दिनांक 12अक्टूबर 2020

पत्र सं० 202010130008 सीबीझांसी/रेवे.न्यू/प्रकाशन दिनांक 13 अक्टूबर 2020

S.No.	Terms and Condition
	कैन्टोन्मेंट फण्ड बिल्डिंग जिसको किराये पर दिया जाना प्रस्तावित है – छावनी कार्यालय कैम्पस की परिधि में स्थित है जिसका मुख्य द्वारा पोस्ट आफिस तोपखाना बाजार के बगल में खुलता है।
1.	उक्त कैन्टोन्मेन्ट फण्ड बिल्डिंग का प्रयोग सरकार अथवा छावनी बोर्ड द्वारा प्रतिबन्धित कार्य/ व्यापार करने हेतु वर्जित होगा।
2.	उक्त कोन्ट्रेक्ट की अवधि 3 (तीन) वर्षों के लिए होगी। अन्य नियम व शर्तों के कैंट एक्त 2006 के अनुसार होगी। तीन वर्ष की समाप्ति के उपरान्त यदि विडर कोन्टेक्ट को आगे करना चाहता है एवं उसका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो उसकी लिखित प्रार्थना पर बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त अगले एक अथवा दो वर्षों के लिए अनुबंध को बड़ाया जा सकता है। किन्तु बोर्ड इसके लिए वाध्य नहीं है।
3.	उक्त कोन्ट्रेक्ट के रेन्ट की लीज विडर को बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त रजिस्टर्ड करानी होगी जिसका स्टेंम्प आदि का खर्चा विडर को देना होगा। किराए में 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रति वर्ष होगी।
4.	अधिकतम रेट पर सफल विडर को बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त प्रथम तीन माह के किराए के बराबर राशि धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा जो 3 वर्ष बाद वापस कर दिया जायेगा एवं जिसपर बोर्ड द्वारा किसी भी तरह का ब्याज देय नहीं होगा व किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही विडर द्वारा मान्य नहीं होगी। स्वीकृति के बाद जिस दिनांक को विडर को बोर्ड द्वारा भवन का चार्ज दिया जायेगा उसी दिन से किराया चालू माना जायेगा। विडर को प्रथम माह से ही किराया देना होगा। प्रति माह के प्रथम सप्ताह के अन्दर ही किराया जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में प्रति दिन रू.100.00 अर्थदण्ड देय होगा।
5.	उक्त निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार बोर्ड/छावनी अधिशाषी अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
6.	किसी भी शर्त /नियम को बदलने/रद्द करने का पूर्ण अधिकार बोर्ड/मुख्य अधिशाषी अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
7.	सफल निविदादाता को निर्धारित मूल्य के नोन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
8.	किसी भी परिस्थिति में अपूर्ण निविदा निरस्त समझी जाएगी।
9.	यह कि आवंटी विघुत व्यवस्था एम ई एस / हाइड्रिल के नियमानुसार उपभोग कर बिल का भुगतान छावनी परिषद के माध्यम से मासिक किराए के अतिरिक्त जमा करेगा।
10.	यह कि आवंटी जल सुविधा का भुगतान छावनी परिषद को नियमानुसार मासिक किराए के अतिरिक्त भुगतान करेंगे।
11.	यह कि भवन के सम्पूर्ण रखरखाव एवं संपूर्ण साफ सफाई की जिम्मेवारी आवंटी की ही होगी। छावनी परिषद पर इन कार्यों का भार नहीं होगा।
12.	यह कि सम्पूर्ण भवन की सुरक्षा की जुम्मेवारी आवंटी की ही होगी।
13.	यह कि ध्वनि विस्तारित यत्रों का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार करना होगा।
14.	यह कि आवंटित क्षेत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित गेट का ही उपयोग करना होगा।
15.	यह कि आवंटी द्वारा छावनी परिषद के अनुबन्ध के पश्चात छावनी परिषद के आवंटित बिल्डिंग एवं भू–भाग को किसी अन्य पक्ष को सवलैट नहीं करेंगें।
16.	यह कि बिल्डिंग एवं भू–भाग को जिस प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाये उस प्रयोजन के समय स्थानीय तौर पर किसी प्रकार का स्थानीय या शासकीय कर या शुल्क लगता है तो वह आवंटी को अदा करना होगा एवं कार्यालय छावनी परिषद को जमा की गई सम्बन्धित विभाग की जमा शुल्क रसीदों की प्रमाणित छायाप्रतियां जमा करनी होगी।
17.	यह कि आवंटित क्षेत्र में मादक मदार्थ, धूमपान, शस्त्रों इत्यादि सभी प्रकार के व्यापार का कय/विकय करना निषेध है।
18.	यह कि आवंटित क्षेत्र में किसी प्रकार से अस्थाई अथवा स्थाई निर्माण कराये जाने की अनुमति लिखित रूप से मुख्य अधिशाषी अधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। जिसका नजरी नक्शा छावनी मुख्य अभियन्ता की संस्तुती लेना अनिवार्य होगा। कोन्टेक्त समाप्ति उपरान्त आवंटी द्वारा बनाया गया अस्थाई अथवा स्थाई निर्माण छावनी परिषद की अमानत माना जायेगा, जिसका आवंटी को कोई मुआवजा छावनी परिषद द्वारा नहीं दिया जायेगा।
19.	भवन की विड न्यूनतम मासिक रू0 15000.00 निश्चित की गई है।

Chief Executive Officer
Cantonment Board Jhansi
(Dr.Vinod Vikneswaran.A)
IDES